



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20022023-243746  
CG-MH-E-20022023-243746

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689]  
No. 689]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2023/माघ 27, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023/MAGHA 27, 1944

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

आदेश

नागपुर, 14 फरवरी, 2023

का.आ. 719(अ).—खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 58 के अंतर्गत तथा खान मंत्रालय में केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो एतद् द्वारा उन सभी खनन पट्टा धारकों एवं अधिमान्य बोलीकर्ताओं को, जिन्हें खनन पट्टा की मंजूरी हेतु आशय पत्र जारी किया गया है, निर्देश दिया जाता है कि, वे दी गई नियमावली के नियम 34ए के अंतर्गत डिजिटल हवाई चित्र की एक प्रति जो वे भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत करते हैं, उसे दी गई नियमावली के नियम 34ए में निर्दिष्ट समय के भीतर राज्य सरकार को भी प्रस्तुत करें।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

[फा. सं. 285-ए-047/1/2022-जीएम एवं एमएम-आईबीएम-मुख्यालय)

संजय लोहिया, महानियंत्रक प्रभारी

**MINISTRY OF MINES**  
**(Indian Bureau of Mines)**

**ORDER**

Nagpur, the 14th February, 2023

**S.O. 719(E).**—In exercise of the powers conferred under rule 58 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 and with the previous approval of the Central Government in the Ministry of Mines, the Controller General, Indian Bureau of Mines hereby directs all the holders of mining lease and the preferred bidders who are issued with a letter of intent for grant of a mining lease to submit a copy of the digital aerial images which they submit to Indian Bureau of Mines under rule 34A of the said rules to the State Government also within the time specified in rule 34A of the said rules.

2. This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 285-A047/1/2022-GM and MM-IBM-HQ]

SANJAY LOHIYA, Controller General (I/C)